पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार संख्या- 299

[के साथ आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 396/2021, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 501/2021, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 822/2021, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 897/2021, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 5/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 13/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 290/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 292/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 295/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 302/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 311/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 312/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 320/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 387/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 388/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 401/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 404/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 413/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 417/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 428/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 436/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 462/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 465/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 481/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 484/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 494/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 497/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 500/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 505/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 508/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 516/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 545/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 554/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 611/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 619/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 634/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 969/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 1069/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 1091/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 1395/2022, आप. रिट क्षेत्राधिकार सं.- 6540/2023]

09 फरवरी, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 22 को 2019 के नियम 56 के साथ पढ़ा जाए, ताकि नियम 56 के उप-नियम-7 के तहत खंड (v) और संजय और जयंत के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, खनन योजना से परे या इसके विपरीत और पर्यावरण मंजूरी के उल्लंघन में नदी के तल से रेत की खुदाई के मामले में लाइसेंसधारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत चोरी आदि के अपराध करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई जा सके।
- क्या प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना स्टॉक लाइसेंस प्वाइंट से रेत की कथित चोरी से बिक्री और इस तरह राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि और याचिकाकर्ताओं

को अवैध लाभ पहुंचाने के मामले की पुलिस द्वारा धारा 379, 411, 406 और 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए पुलिस मामला दर्ज करके जांच की जा सकती है?

- क्या मिथिलेश कुमार सिंह और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (क्र.डब्लू.जे.सी. संख्या 1233/2021) के मामले में विद्वान समन्वय पीठों के निर्णय समान शक्ति वाली पीठ के पहले के निर्णय पर ध्यान न देने के कारण अनुचित हैं, इसलिए कानून का सही विवरण नहीं दिया गया है?

हेडनोट्स

लघु खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957—धारा 27—भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 379—बिहार (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019—नियम 11, 29(सी), 36(3) एवं 56—संबंधित प्राधिकारी ने रेत/खनिजों के उत्खनन के लिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में लाइसेंस/परमिट जारी किया था; तथा वैध खनन योजना भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है—याचिकाकर्ताओं ने धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज करने को चुनौती दी है—पर्यावरण मंजूरी की अनुमति वाले क्षेत्र से आगे उत्खनन और ई-ट्रांजिट चालान जारी किए बिना रेत का परिवहन।

निर्णीत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 नदी तल से रेत सहित खनिजों की अवैध और बेईमानी से चोरी के लिए कार्रवाई करने के लिए पूर्ण और निरपेक्ष प्रतिबंध नहीं है - ऐसे मामले में जहां सरकारी भूमि से रेत और बजरी की चोरी होती है, पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है और सीआरपीसी की धारा 190(1)(डी) के अनुसार संज्ञान लेने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है;

i. खनन योजना से परे या इसके विपरीत क्षेत्र से नदी तल से रेत का उत्खनन करने और पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन करने के मामले में, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत चोरी आदि के अपराध करने का आरोप लगाते हुए लाइसेंसधारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 22 के साथ 2019 के नियम 56 के तहत रोक नहीं लगेगी;

ii. प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना स्टॉक लाइसेंस प्वाइंट से रेत की कथित चोरी से बिक्री और राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि और याचिकाकर्ताओं को अवैध

लाभ पहुंचाने के लिए, धारा 379, 411, 406 और 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है और जांच अधिकारी को इसकी जांच करने की छूट है;

iii. मिथिलेश कुमार सिंह और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (क्र.डब्लू.जे.सी संख्या 1233/2021) के मामले में दिए गए विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों को प्रति उपकर कहा जा सकता है क्योंकि ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पहले के निर्णय का हवाला नहीं दिया गया और उस पर विचार नहीं किया गया। **(पैराग्राफ 17, 19 और 26)**

न्याय दृष्टान्त

कंवर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 14 एससीसी 331; पटेल धर्मेंद्रकुमार माधवलाल बनाम गुजरात राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 13687; जयंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2021) 2 एससीसी 670—**भरोसा किया गया।**

मिथिलेश कुमार सिंह, 2019 (6) बीएलजे 149; मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य (सीआर.डब्लू.जे.सी. संख्या 1233/2021)—**पेर इनक्यूरियम ।**

मिथिलेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, 2019 (6) बीएलजे 149—**माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जयंत बनाम एमपी राज्य, (2021) 2 एससीसी 670 और कंवर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 14 एससीसी 331 में निहित रूप से खारिज कर दिया गया ।**

राज्य **(**दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**)** बनाम संजय**, (2014) 9** एससीसी **772;** जयंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, (2021) 2** एससीसी **670;** ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**, 2018 (4)** पीएलजेआर **706;** मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**, 2019 (2)** बीएलजे **738;** मेसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य**, 2019(3)** पीएलजेआर **166— संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

लघु खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, भारतीय दंड संहिता, 1860, बिहार (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2019

मुख्य शब्दों की सूची

लाइसेंस, परमिट, रेत का उत्खनन, ई-ट्रांजिट चालान, खनन योजना।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कुछ बिंदुओं पर विचार हेतु संदर्भित।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 299 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी, माइन्स
ई. डी के लिए	:	श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता
भारत संघ के अधिवक्ता	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
		श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, ए. एस. जी के जे. सी.

(2021 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 396 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 501 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री एस. के. शर्मा, ए.ए.जी.3 के एसी

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2021 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 822 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री दिव्या वर्मा, ए.ए.जी.3 के एसी

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2021 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 897 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : सुश्री दिव्या वर्मा, ए.ए.जी.3 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 5 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता

श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 290 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 292 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 295 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 305 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 311 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता

सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 312 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 320 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 388 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 401 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 404 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता

श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 413 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 417 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, अधिवक्ता

खान विभाग के लिए ; जी. ए. 7 के एसी
श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 428 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता

श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 436 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 462 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 465 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 481 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 484 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
		श्री माधव, अधिवक्ता
		श्री अमरजीत, अधिवक्ता
		श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
		श्री शिवम, अधिवक्ता
		सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
		श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
		श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 494 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
		श्री माधव, अधिवक्ता
		श्री अमरजीत, अधिवक्ता
		श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
		श्री शिवम, अधिवक्ता
		सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
		श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
		श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 497 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 500 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 505 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 508 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7,
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 516 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7,
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 545 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता

श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7,

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 554 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 611 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 619 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
		श्री माधव, अधिवक्ता
		श्री अमरजीत, अधिवक्ता
		श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
		श्री शिवम, अधिवक्ता
		सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
		श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
		श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 634 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
		श्री माधव, अधिवक्ता
		श्री अमरजीत, अधिवक्ता
		श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
		श्री शिवम, अधिवक्ता
		सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
		श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
		श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 969 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
		श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 1069 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 1091 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1395 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री गोपाल बोहरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

(2023 की आपराधिक विविध संख्या 6540 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता
विपरीत पक्षों के लिए	:	श्री श्यामेश्वर दयाल, अधिवक्ता

हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 299

थाना कांड संख्या-318 वर्ष-2021 थाना- बारुण, जिला- औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, आयु लगभग 29 वर्ष (पुरुष), पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम- बलिहार, पोस्ट- दुल्लहपुर, थाना- सिमारी, जिला- बक्सर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, बारुण थाना, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 396

थाना कांड संख्या- 260 वर्ष-2020 थाना- रनियातालाब, जिला-पटना से उत्पन्न

==========

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके निदेशक, अशोक कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 65 वर्ष, पिता राम चंद्र साव, निवासी गांव/ मोहल्ला- परेओ, थाना बिहटा, जिला- पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, रनियातालाब थाना, पटना, बिहार
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खान कार्यालय, पटना, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 501

थाना कांड संख्या- 864 वर्ष-2020 थाना-बिहटा, जिला-पटना से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना-कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने निदेशक अशोक कुमार के माध्यम से, आयु लगभग 65 वर्ष, पिता राम चंद्र साव, निवासी -गाँव/मोहल्ला-पारेओ, थाना - बिहटा, जिला-पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, बिहटा थाना, पटना, बिहार
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग बिहार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खान कार्यालय, पटना, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 822

थाना कांड संख्या- 84 वर्ष-2017 थाना- रिसियप, जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

सदाशिव प्रसाद सिंह उर्फ सदाशिव प्रसाद पिता मालेश्धर सिंह, निवासी- 410, गणेशालय अपार्टमेंट, झरुडीह, कार्मेल स्कूल के पास, मट्कुरिया, धनबाद, झारखंड 82,6001।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, रिसियप थाना, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, औरंगाबाद, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 897

थाना कांड संख्या- 93 वर्ष-2021 थाना- रनियातालाब जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. राजीव कुमार, पिता स्वर्गीय ललन सिंह, निवासी मोहल्ला- अभियान नगर, गोला रोड, थाना- रूपसपुर, जिला- पटना, बिहार।

2. नितीश कुमार उर्फ नितेश सिंह, पिता मदन गोपाल सिंह, निवासी- भारत पेट्रोल पंप के पास, काली स्थान, डुमरांव रोड, बिक्रमगंज, थाना- बिक्रमगंज, जिला- रोहतास, बिहार।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), बिहार सरकार, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार, पटना
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, बिहार, पटना
4. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना जोन, पटना, बिहार, बिहार
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार, बिहार
6. स्टेशन हाउस ऑफिसर सह प्रभारी अधिकारी रानिया तालाब थाना, जिला, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान विभाग, जिला खान अधिकारी, जिला-पटना, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5

थाना कांड संख्या- 406 वर्ष-2021 थाना-देहड़ी शहर जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के तहत निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 है, अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदाशिव प्रसाद सिंह के माध्यम से, पिता

मलेश्वर सिंह, निवासी- 410, गणेशालय अपार्टमेंट, झारुडीह, कार्मेल स्कूल के पास, मटकुरिया, धनबाद- झारखंड, 826001

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, रोहतास बिहार
5. प्रभारी पदाधिकारी, डेहरी (नगर) थाना,
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13

थाना कांड संख्या- 141 वर्ष-2021 थाना-तिलौथु जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदाशिव प्रसाद सिंह के माध्यम से, पिता मलेश्वर सिंह, निवासी -410, गणेशालय अपार्टमेंट, झारुडीह, कार्मेल स्कूल के पास, मटकुरिया, धनबाद-झारखंड 826001

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिव, पटना बिहार
4. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, रोहतास बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, तिलौथु थाना, रोहतास बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास बिहार
9 खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 290

थाना कांड संख्या- 82 वर्ष-2021 थाना-रिसियप जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, आयु लगभग 29 वर्ष (पुरुष), पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम- बलिहार, पोस्ट- दुल्लहपुर, थाना.- सिमारी, जिला - बक्सर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, रिसियप थाना, औरंगाबाद बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 292

थाना कांड संख्या- 374 वर्ष-2021 थाना-दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, आयु लगभग 29 वर्ष (पुरुष), पिता श्री मुरली सिंह, निवासी - ग्राम - बलिहार, पोस्ट-दुल्लहपुर, थाना.- सिमारी, जिला - बक्सर

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार

4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, दाउदनगर थाना, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला, खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 295

थाना कांड संख्या- 481 वर्ष-2021 थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, आयु लगभग 29 वर्ष (पुरुष), पिता श्री मुरली सिंह, निवासी - ग्राम - बलिहार, डाक-दुल्लहपुर, थाना- सिमारी, जिला - बक्सर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, दाउदनगर थाना, औरंगाबाद, बिहार

6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला, खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 305

थाना कांड संख्या- 264 वर्ष-2021 थाना-बारुण जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी अधिनियम,1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, पिता श्री मुरली सिंह, निवासी - गांव- बलिहार, डाक- दुल्लहपुर, थाना- सिमारी, जिला- बक्सर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार, पटना के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, पटना
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, पटना
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, औरंगाबाद।
5. प्रभारी अधिकारी, बारुण थाना, औरंगाबाद, औरंगाबाद
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।

7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, पटना
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, औरंगाबाद
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद, औरंगाबाद
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, औरंगाबाद

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 311

थाना कांड संख्या- 47, वर्ष-2021 थाना-नराली काला खुर्द जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, आयु लगभग 29 वर्ष (पुरुष), पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम- बलिहार, पोस्ट- दुल्लहपुर, थाना- सिमारी, जिला - बक्सर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नरारी कला थाना-औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार

9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 312

थाना कांड संख्या- 202 वर्ष-2021 थाना-नवीनगर जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, आयु लगभग 28 वर्ष (पुरुष), पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम- बलिहार, डाक- दुल्लहपुर, थाना.- सिमारी, जिला - बक्सर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नवीनगर थाना, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 320

थाना कांड संख्या- 176 वर्ष-2021 थाना-बारुण जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, आयु लगभग 28 वर्ष (पुरुष), पिता श्री मुरली सिंह, निवासी - ग्राम - बलिहार, पोस्ट-दुल्लहपुर, थाना.- सिमारी, जिला - बक्सर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, बारुण थाना, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 387

थाना कांड संख्या- 689, वर्ष-2021 थाना- बिहटा जिला- पटना से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी- गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना - बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, बिहटा थाना, पटना, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 388

थाना कांड संख्या- 179 वर्ष-2021 थाना-संदेश जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना - बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, संदेश पुलिस थाना, भोजपुर बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, भोजपुर, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 401

थाना कांड संख्या- 183 वर्ष-2021 थाना-चंडीगढ़ जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी - गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना - बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, चंडी पुलिस थाना, भोजपुर, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, भोजपुर, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 404

थाना कांड संख्या- 018 वर्ष-2020 थाना-देहड़ी शहर जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

सदाशिव प्रसाद सिंह उर्फ सदाशिव प्रसाद उर्फ सदाशिव सिंह मालेश्वर के पुत्र सिंह, आर/ओ-410, गणेशालय अपार्टमेंट, झाड़ूडीह, कार्मेल स्कूल के पास, मटकुरिया, धनबाद, झारखंड 82,6001

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिव, पटना बिहार
4. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, रोहतास बिहार
5. प्रभारी पदाधिकारी, डेहरी थाना, रोहतास बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, जिला खनन कार्यालय, रोहतास बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 413

थाना कांड संख्या- 115 वर्ष-2021 थाना-इमादपुर जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार

के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी- गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, इमादपुर थाना, भोजपुर बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, भोजपुर बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 417

थाना कांड संख्या- 253 वर्ष-2020 थाना-नवीनगर जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी - सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से

2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नवीनगर थाना, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद।
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 428

थाना कांड संख्या- 125 वर्ष-2021 थाना-दारीहाट जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी- सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, दारीहाट थाना, रोहतास, बिहार

6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 436

थाना कांड संख्या-349 वर्ष-2021 थाना-देहड़ी शहर जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी- सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, डेहरी (नगर) थाना, रोहतास, बिहार
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, रोहतास, बिहार

9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 462

थाना कांड संख्या- 335 वर्ष-2021 थाना-पालीगंज जिला-पटना से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना - बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, पटना बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, पालीगंज थाना, पटना बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 465

थाना कांड संख्या- 247 वर्ष-2021 थाना-डोरिगंज जिला-सारण से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना - बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, डोरीगंज पुलिस थाना सारण, छपरा, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, सारण बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, सारण बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 481

थाना कांड संख्या- 540 वर्ष-2021 थाना-बरहरा जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी- गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना।बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, बरहरा थाना, भोजपुर, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 484

थाना कांड संख्या- 54 वर्ष-2020 थाना-देहड़ी शहर जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी - सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण ।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, डेहरी थाना, रोहतास, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, जिला खनन कार्यालय, रोहतास बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास बिहार

.....उत्तरदाता/एस

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 494

थाना कांड संख्या- 126 वर्ष-2021 थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी- सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नासरीगंज थाना, रोहतास, बिहार
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार.

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 497

थाना कांड संख्या- 302 वर्ष-2021 थाना-दिघवारा जिला-सारण से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार

के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी- गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना - बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, दिगवाड़ा थाना, सारण, छपरा बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, सारण बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, सारण बिहार.

.....उत्तरदाता/एस

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 500

थाना कांड संख्या- 456 वर्ष-2021 थाना-कोइलवर, जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी- गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, कोइलवर थाना, भोजपुर, बिहार
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर, बिहार।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 505

थाना कांड संख्या- 61 वर्ष- 2021 थाना- अवतारनगर, जिला- सारण से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, सारण चापड़ा बिहार

5. प्रभारी अधिकारी, अवतारनगर थाना, सारण, छपरा बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, सारण बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सारण बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 508

थाना कांड संख्या- 464 वर्ष-2021 थाना-छपरा मुफ्फसिल जिला-सारण से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी- गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना - बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा
5. प्रभारी अधिकारी, मुफस्सिल थाना, सारण, छपरा, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना

8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, सारण, बिहार

9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सारण, बिहार

उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 516

थाना कांड संख्या- 181 वर्ष-2021 थाना- रनियातालाब, जिला-पटना से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी- गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से

2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार

3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार

4. पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार

5. प्रभारी अधिकारी, रनियातालाब थाना, पटना, बिहार

6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।

7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।

8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना, बिहार

9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 545

थाना कांड संख्या- 209 वर्ष-2021 थाना-सहर जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

ब्रोड सोन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला-भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गाँव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना - बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....याचिकाकर्ता/एस

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, सहर थाना, भोजपुर बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 554

थाना कांड संख्या- 204 वर्ष-2021 थाना-नवीनगर जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, आयु लगभग 28 वर्ष (पुरुष), पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम- बलिहार, पोस्ट- दुल्लहपुर, थाना.- सिमारी, जिला - बक्सर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नवीनगर थाना, औरंगाबाद।
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 611

थाना कांड संख्या- 2 वर्ष-2022 थाना-एनटीपीसी खैरा जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी- सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, एनटीपीसी थाना, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 619

थाना कांड संख्या- - 38 वर्ष-2022 थाना-नवीनगर जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी - सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नवीनगर थाना, औरंगाबाद बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 634

थाना कांड संख्या- 47 वर्ष-2021 थाना- कच्छवा जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता-700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी- सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, कच्छवा थाना, रोहतास बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार

उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 969

थाना कांड संख्या- 125 वर्ष-2022 थाना-करपी जिला-जहानाबाद से उत्पन्न

==========

1. इन्दुज कुमार, पिता- श्री राम नारायण वर्मा निवासी गाँव- तेयाप, पोस्ट और थाना-करपी, जिला- अरवल।

2. चित्तरंजन कुमार, पिता- राम जनम सिंह, गाँव- तेयप, पोस्ट और थाना- करपी, जिला- अरवल।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य गृह आयुक्त अधिनियम, पटना, बिहार, के माध्यम से
2. खान एवं खनिज आयुक्त, बिहार सरकार, पटना, बिहार
3. खान निरीक्षक, अरवल, जिला- अरवल, बिहार
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरवल, जिला- अरवल, बिहार
5. पदाधिकारी 1/सी थाना- करपी, जिला-अरवल, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1069

थाना कांड संख्या- -93 वर्ष-2022 थाना-कोइलवर जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

प्रताप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कार्यालय धीरेंद्र पुरम, रानीबंध तालाब, धैया, जिला धनबाद में है, अपने निदेशक हरि नारायण सिंह पिता तेज प्रताप सिंह के माध्यम से, निवासी- धैया, रानी बांध तालाब के पास, कल्याणपुर, पोस्ट- धैया, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड-82004।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, कोइलवर थाना, भोजपुर, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार

7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1091

थाना कांड संख्या- 396 वर्ष-2022 थाना-शेखपुरा जिला-शेखपुरा से उत्पन्न

==========

1. मेसर्स एरिना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय गांव निमी, थाना- शेखोपुर, जिला नवादा में है, इसके निदेशक राधे शर्मा के माध्यम से, उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता हरंगी सिंह, निवासी गांव- निम्मी, थाना- शेखोपुर, सराय, जिला- शेखपुरा।
2. राधे शर्मा, पिता हरंगी सिंह, निवासी ग्राम निम्मी, थाना- शेखोपुर, जिला- शेखपुरा।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, शेखपुरा थाना, शेखपुरा बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. वरिष्ठ अतिरिक्त कलेक्टर सह खनन विकास अधिकारी शेखपुरा, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, शेखपुरा, बिहार
9. खनन विकास अधिकारी, शेखपुरा, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1395

थाना कांड संख्या- 188 वर्ष-2022 थाना-अत्री जिला-गया से उत्पन्न

==========

1. निधि कुमारी, पिता अमरनाथ सिंह, निवासी- ए-58, पुलिस कॉलोनी, निकट पार्क, गांधी विहार, फुलवारी, अनीसाबाद, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना, मेसर्स एकलव्य स्टोन एंड माइंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, पंजीकृत कार्यालय ग्राम- पथरा इंगलिश, पोस्ट- ओरहानपुर, थाना- मुफस्सिल, जिला- नवादा
2. कुमार प्रीति उर्फ कुमारी प्रीति, पिता इंद्रदेव प्रसाद, निवासी ए-58, पुलिस कॉलोनी, पार्क के पास, गांधी विहार, फुलवारी, अनीसाबाद, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना. मेसर्स एकलव्य स्टोन एंड माइंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, पंजीकृत कार्यालय ग्राम- पथरा इंग्लिश, पोस्ट-ओरहानपुर, थाना-मुफस्सिल, जिला- नवादा

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गया बिहार
5 प्रभारी अधिकारी, अत्रि थाना, गया बिहार
6. प्रा. सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
7. महाप्रबंधक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, पटना बिहार
8. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
9. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, गया बिहार
10. जिला खनन अधिकारी, गया बिहार
11. सत्येंद्र प्रसाद सिंह, पिता रामपति सिंह, ग्राम- हरहापुर, थाना- नोखा, जिला- रोहतास, वर्तमान में जिला खान कार्यालय, गया में खान निरीक्षक के रूप में तैनात हैं।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2023 आपराधिक विविध संख्या 6540

थाना कांड संख्या-340 वर्ष-2022 थाना-गया मुफसिल जिला-गया से उत्पन्न

==========

सुजय सिंह, पिता राम विजय सिंह, निवासी ग्राम- दोहरी, थाना- गया मुफस्सिल, जिला-गया

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य, बिहार

.....विपक्षी/ओं

==========

उपस्थिति :

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 299 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी, माइन्स
ई. डी के लिए	:	श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता
भारत संघ के अधिवक्ता	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
		श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, ए. एस. जी के जे. सी.

(2021 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 396 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 501 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री एस. के. शर्मा, ए.ए.जी.3 के एसी
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2021 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 822 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	सुश्री दिव्या वर्मा, ए.ए.जी.3 के एसी
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2021 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 897 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	सुश्री दिव्या वर्मा, ए.ए.जी.3 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 5 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
		श्री माधव, अधिवक्ता

श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 290 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता

सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 292 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 295 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता

श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 305 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता

श्री माधव, अधिवक्ता

श्री अमरजीत, अधिवक्ता

श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता

सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता

श्री शिवम, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता

श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 311 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता

श्री माधव, अधिवक्ता

श्री अमरजीत, अधिवक्ता

श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता

सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता

श्री शिवम, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता

श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 312 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
		श्री माधव, अधिवक्ता
		श्री अमरजीत, अधिवक्ता
		श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
		श्री शिवम, अधिवक्ता
		सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
		श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 320 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
		श्री माधव, अधिवक्ता
		श्री अमरजीत, अधिवक्ता
		श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
		श्री शिवम, अधिवक्ता
		सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
		श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 388 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 401 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 404 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 413 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 417 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, अधिवक्ता
खान विभाग के लिए ; जी. ए. 7 के एसी
श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 428 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 436 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
		श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 462 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 465 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 481 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता

श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 484 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 494 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता
श्री माधव, अधिवक्ता
श्री अमरजीत, अधिवक्ता
श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता
श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
		श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 497 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 500 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 505 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता

श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 508 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता

श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता

श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता

श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7,

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 516 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता

श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता

श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता

श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7,

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 545 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता

श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता

श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता

श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7,

भारत संघ के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 554 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता

श्री माधव, अधिवक्ता

श्री अमरजीत, अधिवक्ता

श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता

सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता

श्री शिवम, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता

श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 611 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता

श्री माधव, अधिवक्ता

श्री अमरजीत, अधिवक्ता

श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता

सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता

श्री शिवम, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता

श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 619 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता

श्री माधव, अधिवक्ता

श्री अमरजीत, अधिवक्ता

श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता

सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता

श्री शिवम, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता

श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 634 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता

श्री माधव, अधिवक्ता

श्री अमरजीत, अधिवक्ता

श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता

सुश्री रिया अरोड़ा, अधिवक्ता

श्री शिवम, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा, अधिवक्ता

श्री मधुकर आनंद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
		श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 969 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
		श्री अभिषेक सिंह, जी. ए. 7 के एसी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 1069 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 1091 में)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री पीयूष रंजन, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7
भारत संघ के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, एएसजी
खान विभाग के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, विशेष पी. पी., माइन्स

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1395 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री गोपाल बोहरा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए. 7

(2023 की आपराधिक विविध संख्या 6540 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्षों के लिए : श्री श्यामेश्वर दयाल, अधिवक्ता

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीखः 09-02-2024

एक बहुत ही विस्तृत संदर्भ आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रश्नों को खंडपीठ के विचारार्थ भेजा है:

> "(i) क्या 2019 के नियमों में नियम 56 के साथ पठित 1957 के एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 की व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि खनन योजना से परे या विपरीत क्षेत्र से नदी के तल से रेत की खुदाई के मामले में और नियम 56 के उप-नियम (7) के तहत खंड (v) और **संजय और जयंत** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बावजूद पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन करते हुए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत चोरी आदि के अपराधों का आरोप लगाने वाली एफ. आई. आर. दर्ज करने पर रोक लगाई जाए।
>
> (ii) क्या पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना स्टॉक लाइसेंस बिंदु से रेत की कथित चोरी और इस तरह राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि और याचिकाकर्ताओं को अवैध लाभ पहुंचाने के मामले की पुलिस द्वारा धारा 379, 411, 406 और 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज करके जांच की जा सकती है?
>
> (iii) क्या **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**

(सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 1233/2021) के मामले में विद्वान समन्वय पीठों के निर्णय समान शक्ति वाली पीठ के पहले के निर्णय पर ध्यान न देने के कारण कानून का सही कथन प्रस्तुत नहीं करने के कारण अनुचित हैं?"

2. संदर्भ की पृष्ठभूमि संक्षेप में नोट की जा सकती है:

2.1 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं के एक समूह को एक साथ लिया गया था। सभी रिट याचिकाओं में, संबंधित याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और अन्य प्रावधानों (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ नियम 11, 29 (सी), 36 (3) और 56 और बिहार के अन्य नियमों (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 (इसके बाद '2019 के नियम' के रूप में संदर्भित) और लघु खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (इसके बाद 'एमएमडीआर अधिनियम 1957' के रूप में संदर्भित) की धारा 27 के कथित उल्लंघन को चुनौती दी है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 04.11.2022 के संदर्भ आदेश के पैरा 2 में प्रत्येक एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों को बताया है, जिन्हें उपरोक्त रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

2.2 रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से मूल तर्क यह है कि एमएमडीआर अधिनियम और 2019 के नियमों के तहत कथित अपराधों के लिए आईपीसी के दंडात्मक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम विशेष क़ानून की प्रकृति के हैं, इसलिए एमएमडीआर अधिनियम और 2019 के नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन से केवल उसके तहत प्रदान की गई व्यवस्था के अनुसार ही निपटा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिक आरोप पर्यावरण मंजूरी की अनुमति वाले क्षेत्र से आगे खुदाई और ई-ट्रांजिट चालान जारी किए बिना रेत का परिवहन करना है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये

आरोप विशेष रूप से 2019 के नियमों के नियम 56(1) के अंतर्गत आते हैं और ये उक्त नियमों की धारा 56(2) के अंतर्गत दंडनीय होंगे और इसलिए, उपरोक्त उल्लंघन को धारा 379, 411, 406 या 420 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं माना जा सकता और इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि 2019 के नियमों के नियम 61 में प्रावधान है कि इन नियमों के अंतर्गत अपराध केवल सक्षम अधिकारी या सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत पर ही संज्ञेय होंगे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'सीआरपीसी' कहा जाएगा) की धारा 2(डी) में निहित प्रावधानों पर भी भरोसा किया है, जो "शिकायत" को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से किया गया कोई आरोप, इस संहिता के तहत कार्रवाई करने के उद्देश्य से, कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, कोई अपराध किया है, जिसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगी। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि केवल लिखित शिकायत पर ही संज्ञान लिया जा सकता है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं। इस प्रकार, पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी।

2.3 रिट याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि के-लाइसेंस स्थानों पर संग्रहीत रेत याचिकाकर्ताओं की है और इसलिए, व्यक्ति अपने सामान की चोरी नहीं कर सकता है। इस प्रकार, धारा 379 आईपीसी के तत्व भी नहीं बनते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि खनन योजना के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, जिसमें वह विशेष क्षेत्र निर्धारित किया गया था, जहां से याचिकाकर्ता रेत का उत्खनन कर सकते थे। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यदि एमएमडीआर अधिनियम और 2019 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो एफआईआर स्वीकार्य नहीं है और केवल सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष निजी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

2.4 दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एमएमडीआर अधिनियम या 2019 के नियम पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने पर रोक लगाते हैं, लेकिन ऐसे मामले में जहां पुलिस रिपोर्ट धारा 379, 411, 406 या 420 आईपीसी के तहत सक्षम अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, विद्वान मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है जो एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाता हो।

2.5 खान विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि रेत प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति है और नदी तल से रेत का अनधिकृत निष्कर्षण या प्रीपेड ई-चालान के बिना रेत की बिक्री धारा 378 आईपीसी के अर्थ में चोरी मानी जाएगी। यह भी दलील दी गई कि चोरी की भयावहता का अंदाजा इन मामलों के तथ्यों से लगाया जा सकता है, जिसमें 500 करोड़ से अधिक की अवैध और गैरकानूनी खुदाई और प्रीपेड ई-चालान के बिना बिक्री शामिल है, जिससे राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि हुई है। यह राज्य को अवैध नुकसान और लाइसेंसधारी को अवैध लाभ पहुंचाने के बराबर है, इस प्रकार, धारा 406, 420 आईपीसी के तत्व भी आकर्षित होते हैं।

2.6 पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा है:

(i) राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम संजय, रिपोर्ट (2014) 9 एससीसी 772

(ii) जयंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, रिपोर्ट (2021) 2 एससीसी 670

(iii) ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, रिपोर्ट 2018 (4) पीएलजेआर 706

(iv) मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, रिपोर्ट 2019 (2) बीएलजे 738

(v) मेसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, 2019 में रिपोर्ट किया गया(3) पीएलजेआर 166

(vi) मिथिलेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, 2019 में रिपोर्ट किया गया (6) बीएलजे 149

(vii) मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 1233/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2022।

2.7 इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और 2019 के नियमों में निहित प्रावधानों पर विचार किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 378, 410, 411, 415, 420, 405 और 406 आईपीसी में निहित प्रावधानों पर भी विचार किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों पर भी विचार किया है। इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा कि इन रिट याचिकाओं में उठाए गए समान तर्क **ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (उपरोक्त), 2018 (4) पीएलजेआर 706** में रिपोर्ट किया गया, के मामले विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाए गए थे। उक्त मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है कि उक्त मामले के तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर का पंजीकरण और बाद में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच और संज्ञान अवैध या कानून की दृष्टि से गलत है।

2.8 उक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सीआरएल) संख्या 010596/2018 दायर करके चुनौती दी गई थी। उक्त एसएलपी (आपराधिक) को वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया था।

2.9 इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने **मेसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त), **मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** (उपरोक्त) और **मिथिलेश कुमार सिंह** (उपरोक्त) के मामले में एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों

पर चर्चा की। उक्त निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि उपरोक्त तीनों मामलों में समन्वय पीठ के समक्ष, **2018 (4) पीएलजेआर 706** में रिपोर्ट किए गए निर्णय का हवाला नहीं दिया गया था और इसलिए, ऐसा लगता है कि उपरोक्त तीनों मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है। इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने **संजय (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया और उसके बाद यह पाया कि रिट याचिकाओं में शामिल विवादों का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, इसके बावजूद अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त तीनों मामलों में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है और इसलिए, उपरोक्त तीनों मामलों में उक्त निर्णयों को अज्ञानतावश कहा जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने **जयंत (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया है और उसके बाद संदर्भ के आदेश के पैराग्राफ 70 में कहा है कि "**संजय (उपरोक्त) और जयंत (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपने पहले के विचार को दोहराता है कि इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है और इन मामलों की जांच में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यह न्यायालय **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त)** के मामले में और सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 1233/2021 (आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य) में इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत होने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त करता है, जिसका निपटारा 07.04.2022 को हुआ।

2.10 इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुद्दों को अंतिम रूप से हल करने के उद्देश्य से उपरोक्त तीन प्रश्न तैयार किए और उसके बाद मामले को डिवीजन बेंच को भेज दिया।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री सूरज समदर्शी की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई.वी. गिरी और श्री पी.एन. शाही, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ. के.एन. सिंह, खान विभाग की ओर से विद्वान विशेष पी.पी. श्री नरेश दीक्षित और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हमारे समक्ष मुख्य रूप से यह प्रस्तुत किया कि सभी वर्तमान मामलों में संबंधित प्राधिकरण ने रेत/खनिजों के उत्खनन के लिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में लाइसेंस/परमिट जारी किया था और वैध खनन योजना भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 378, 379, 406, 411 और 420 के तहत दंडनीय अपराध के तत्व नहीं बनते हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं, तब भी यह एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 और नियम 201 के नियम 61 के अनुसार, जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने पर रोक है। यह भी कहा गया है कि **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त), मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) और मेसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होगा। यह भी कहा गया है कि केवल अधिकृत अधिकारी ही संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष निजी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसके बाद संबंधित अदालत को इसका संज्ञान लेने का अधिकार है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि यह न्यायालय प्रत्येक एफआईआर के तथ्यों की जांच नहीं कर सकता है, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने खंडपीठ को संदर्भ दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्नों के उत्तर देने के बाद, यह न्यायालय मामले को एक बार फिर से विद्वान एकल न्यायाधीश को संदर्भित कर सकता है

ताकि वह अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सके। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने एक बार फिर संजय (उपरोक्त) और जयंत (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है और उसके बाद तर्क दिया है कि अब कानून अच्छी तरह से स्थापित है और, इसलिए, एफआईआर में लगाए गए आरोपों से, यदि धारा 378, 379, 406, 411, 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के तत्व सामने आते हैं, तो ऐसी एफआईआर को रद्द और अलग नहीं किया जा सकता है और प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

6. हमने पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है। सबसे पहले, हम एमएमडीआर अधिनियम, 1956 और 2019 के नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे।

6.1 संसद ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 पारित किया। यह अधिनियम संघ के नियंत्रण में खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का प्रावधान करता है। धारा 3 के खंड (ई) के तहत "लघु खनिज" शब्द को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

> "(ई) "गौण खनिज" का अर्थ है निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा सामान्य रेत और कोई अन्य खनिज जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक गौण खनिज घोषित करे;"

6.2 इसकी धारा 4 में प्रावधान है कि पूर्वेक्षण या खनन कार्य लाइसेंस या पट्टे के तहत किए जाने हैं। इस प्रावधान के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खोजबीन, पूर्वेक्षण या खनन कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए गए खोजबीन परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस या, जैसा भी मामला हो, खनन पट्टे की शर्तों के तहत और उसके अनुसार हो। धारा 4 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के

साथ पूर्व परामर्श के बाद और धारा 18 के तहत बनाए गए नियम के अनुसार, उस राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में खोजबीन, पूर्वेक्षण या खनन कार्य कर सकती है, जो पहले से ही किसी खोजबीन परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है। धारा 9 में खनन पट्टे के संबंध में रॉयल्टी की बात की गई है। धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात प्रदान किए गए खनन पट्टे का धारक, उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाए गए या उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करेगा, जो उस खनिज के संबंध में द्वितीय अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दर पर होगा।

6.3 एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 15 राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने की सीमित शक्ति प्रदान करती है। धारा 15 की उपधारा (1) के आधार पर, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टे, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और उनसे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियम धारा 15 की उपधारा (1ए) के तहत निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं।

6.4 धारा 21 अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है। जो कोई भी इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे पांच वर्ष तक कारावास और प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के हिसाब से पांच लाख रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

6.5 एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत बनाया गया कोई भी नियम यह प्रावधान कर सकता है कि इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक कारावास या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में,

प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन पहली बार उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद जारी रहता है। धारा 21 की उपधारा (5) के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति किसी भूमि से किसी खनिज को बिना किसी वैध प्राधिकार के निकालता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से निकाले गए खनिज को या जहां ऐसे खनिज का पहले ही निपटान किया जा चुका है, उसकी कीमत वसूल कर सकती है और ऐसे व्यक्ति से उस अवधि के लिए किराया, रॉयल्टी या कर भी वसूल सकती है, जिसके दौरान भूमि पर ऐसे व्यक्ति ने बिना किसी वैध प्राधिकार के कब्जा किया था। धारा 21 की उपधारा (6) में कहा गया है कि "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपधारा (1) के तहत अपराध संज्ञेय होगा।" धारा 21 की उपधारा (6) के तहत स्पष्टीकरण डाला गया है जो इस प्रकार है:-

> "व्याख्याः- खनन और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से और उस तारीख से, इस धारा में आने वाले अभिव्यक्ति "किसी भी वैध प्राधिकार के बिना किसी खनिज का उत्खनन, परिवहन या उत्खनन या परिवहन करवाना" का अर्थ होगा किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टा या समग्र लाइसेंस के बिना या धारा 23ग के तहत बनाए गए नियमों के किसी भी उल्लंघन में किसी खनिज का उत्खनन, परिवहन या उत्खनन करना या परिवहन करवाना।"

6.6 एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 किसी कंपनी द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है। धारा 23 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि यदि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा। हालांकि, धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधान में कहा गया है कि इस उपधारा में निहित

कोई भी बात किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी भी दंड का पात्र बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए उचित तत्परता बरती थी। धारा 23 की उपधारा (2) एक गैर-बाधा खंड से शुरू होती है। इस उपधारा के अनुसार, उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, ऐसे सभी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के दोषी माने जाएंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें तदनुसार दंडित किया जा सकेगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए, "कंपनी" का अर्थ कोई भी निगमित संस्था है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है। किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" शब्द का अर्थ उस फर्म में भागीदार है।

6.7 धारा 23ए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन अपराध को शमनीय बनाती है, धारा 22 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उस अपराध के संबंध में न्यायालय में शिकायत करने के लिए शमनीय। धारा 23ए की उपधारा 2 में कहा गया है कि चाहे कोई अपराध उपधारा (1) के अधीन शमनीय हो, इस प्रकार शमनीय अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही, जैसी भी स्थिति हो, नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि हिरासत में है, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा।

6.8 धारा 23सी राज्य सरकार को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बना सकती है।

6.9 खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) संशोधन अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 38) के माध्यम से दिनांक 18.12.1999 से धारा 23सी को शामिल

किया गया है। धारा 15 और 23 सी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि राज्य सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन यह निम्न तक सीमित है: (i) लघु खनिजों के संबंध में खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायत देने और संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाना, और (ii) खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाना। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 23 सी को शामिल करने से पहले, बिहार के राज्यपाल ने 1972 नियम बनाए थे। 1972 नियम के नियम 40 में लघु खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण और निष्कासन के लिए दंड का प्रावधान है। नियम 41 में प्रावधान है कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्न कोई भी न्यायालय इन नियमों के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा और कोई भी न्यायालय इन नियमों के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि सक्षम अधिकारी या खान उप निदेशक या खान अतिरिक्त निदेशक या खान निदेशक या सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत पर ऐसा किया गया हो। नियम 26 के उप-नियम (1) में किराया/रॉयल्टी और मूल्यांकन का प्रावधान है और नियम 26 के उप-नियम (1) के खंड- (बी) के अनुसार रॉयल्टी अनुसूची II में निर्दिष्ट दरों पर ली जाएगी।

6.10 ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2003 में बिहार के राज्यपाल ने बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 (जिसे आगे 2003 नियमावली कहा जाएगा) बनाई तथा पुनः वर्ष 2017 में बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 (जिसे आगे 2017 नियमावली कहा जाएगा) जारी की गई। बिहार के राज्यपाल ने एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 23 सी एवं 26 के साथ धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2019 की नियमावली बनाई, जिसके अंतर्गत नियम 88 के आधार पर 1972 नियमावली, 2003 नियमावली एवं 2017 नियमावली को निरस्त कर दिया गया है। परंतु उसके अंतर्गत की गई कार्रवाई को सुरक्षित रखा गया है। 2019 के नियमों के

लागू होने से ठीक पहले किसी भी अधिकारी, प्राधिकरण या अदालत के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही (जांच के माध्यम से कार्यवाही सहित), ऐसे सभी अपराध 2019 के नियमों के अनुसार उसके समक्ष लंबित कार्यवाही माने जाएंगे और तदनुसार निपटाए जाएंगे।

6.11 रिट आवेदनों के वर्तमान बैच के प्रयोजन के लिए, नियम 2019 के नियम 56, 61, 64 और 65 पर विचार किया गया है। नियम 2019 के नियम 56 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दी गई या अनुमत किसी भी खनिज रियायत, परमिट या किसी अन्य अनुमति के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं करेगा, न ही हटाएगा और न ही करेगा और न ही वैध चालान या लाइसेंस के बिना किसी खनिज का परिवहन या भंडारण करेगा या परिवहन या भंडारण कराएगा। नियम 56 के उप-नियम 2 में यह प्रावधान है कि जो कोई भी उप-नियम (1) का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या पांच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। नियम 61 लिखित शिकायत पर अपराध को संज्ञेय बनाता है। इस प्रावधान के अनुसार, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्न कोई भी न्यायालय इन नियमों के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा और कोई भी न्यायालय इन नियमों के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि सक्षम अधिकारी या खान उप निदेशक या खान के अतिरिक्त निदेशक या खान निदेशक या सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत पर संज्ञान न लिया जाए।

नियम 56 के उप-नियम (7) में जब्त की गई संपत्ति की जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया का प्रावधान है। नियम 56 के उप-नियम (7) के खंड (v) में कहा गया है कि नियम के तहत जब्ती का आदेश किसी अन्य दंड को लागू करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए इससे प्रभावित व्यक्ति इन नियमों या किसी अन्य कानून के तहत उत्तरदायी है। (जोर दिया गया)।

6.12. 2019 के नियमों के नियम 64 में यह प्रावधान है कि एमएमडीआर अधिनियम 1957 की उपधारा (30बी) के तहत दी गई शक्ति के अनुसार, राज्य सरकार, यदि आवश्यक हो तो जनहित में, इस नियम के तहत सभी या किसी भी अपराध के परीक्षण के प्रयोजनों के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय की नियुक्ति या पदनाम कर सकती है। नियम 65 मामलों को नियमित न्यायालयों में स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रावधान के अनुसार, जहां इन नियमों के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, एक विशेष न्यायालय की राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, ऐसे अपराध के परीक्षण के लिए मामले को स्थानांतरित करने के लिए उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होने के बावजूद, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अधिकार क्षेत्र रखने वाला कोई भी न्यायालय और वह न्यायालय जिसे मामला स्थानांतरित किया गया है, अपराध के विचारण के साथ आगे बढ़ सकता है जैसे कि उसने अपराध का संज्ञान लिया था।

7. अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा 378, 379, 410, 411, 415 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे, जो निम्नानुसार हैं:

> "**378. चोरी-** जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।
>
> स्पष्टीकरण 1- जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है, वह चोरी का विषय बनने में सक्षम हो जाती है।
>
> स्पष्टीकरण-2- हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा।
>
> स्पष्टीकरण-3- कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए है या जब वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है।

स्पष्टीकरण-4- वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव-जन्तु का हटाना कारित करता है, उस जीव-जन्तु को हटाता है; और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर चीज़ को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणामस्वरूप उस जीव-जन्तु द्वारा हटायी जाती है।

स्पष्टीकरण-5- परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है।

379. चोरी के लिए दंड - जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

410. चुराई हुई संपत्ति- वह संपत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में 2 * * * 3 * * * आपराधिक न्यासभंग किया गया है, "चुराई हुई संपत्ति" कहलाती है 4 [चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग 5 [भारत] के भीतर किया गया हो या बाहर] । किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती।

411. चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना- जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से 1 दंडित किया जाएगा।

415. छल- जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साथ ही उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता, तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति-संबंधी, या सांपत्तिक

नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी संभाव्य है, वह "छल" करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण—तथ्यों को बेईमानी से छिपाना इस धारा के अंतर्गत प्रवंचना है।"

8. अब हम **संजय (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ देना चाहेंगे। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 69 से 72 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"69. धारा 22 में प्रयुक्त व्याख्या के सिद्धांतों और शब्दों पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय में, यह प्रावधान नदी तल से रेत सहित खनिजों की अवैध और बेईमानी से चोरी करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के लिए पूर्ण और निरपेक्ष प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में नदियाँ अनियंत्रित रेत खनन की खतरनाक दर से प्रभावित हुई हैं, जो नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और पुलों की सुरक्षा को नुकसान पहुँचा रही है। यह नदी तल, मछली प्रजनन को भी कमजोर करता है और कई जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। यदि इन अवैध गतिविधियों को राज्य और राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं रोका जाता है, तो इससे ऊपर बताए गए गंभीर परिणाम होंगे। यह न केवल नदी जल विज्ञान को बदल देगा बल्कि भूजल स्तर को भी कम कर देगा।

70. एमएमडीआर अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों और उसमें दिए गए उपायों के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 4 और अन्य धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि की जाती है, अधिनियम के तहत सशक्त और अधिकृत अधिकारी क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करने सहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। यह भी विवाद में नहीं है कि मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा उसके समक्ष दायर की गई शिकायत के आधार पर संज्ञान लेगा। धारा 4 और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, पुलिस अधिकारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट पर जोर नहीं दे सकता है, जिसमें उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। दूसरे शब्दों में,

अधिनियम की धारा 22 में निहित निषेध किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा अभियोजन चलाने के विरुद्ध तभी लागू होता है जब ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाना हो, न कि किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए जो दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बनता हो।

71. हालांकि, ऐसी स्थिति हो सकती है जहां कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टे या लाइसेंस या किसी प्राधिकरण के नदी में प्रवेश करता है और रेत, बजरी और अन्य खनिजों को निकालता है और उन खनिजों को राज्य के कब्जे से बेईमानी से हटाने के इरादे से गुप्त तरीके से उन खनिजों को हटाता या परिवहन करता है, तो उसे दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत ऐसा अपराध करने के लिए दंडित किया जा सकता है।

72. एम.एम.डी.आर. अधिनियम के प्रावधानों और धारा 378 आई.पी.सी. के अंतर्गत परिभाषित अपराध को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अपराध के घटक भिन्न हैं। खनन पट्टे की शर्तों का उल्लंघन या अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य करना एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जबकि नदी से रेत, बजरी और अन्य खनिजों को, जो राज्य की संपत्ति है, राज्य की सहमति के बिना राज्य के कब्जे से बेईमानी से निकालना चोरी का अपराध है। इसलिए, केवल शिकायत के आधार पर एम.एम.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के लिए कार्यवाही शुरू करने से पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करके रेत और खनिजों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ऊपर वर्णित तरीके से कार्रवाई करने और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने से नहीं रोका जा सकता है और न ही रोका जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में जहां सरकारी जमीन से रेत और बजरी की चोरी होती है, पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(डी) के तहत संज्ञान लेने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट पेश कर सकती है।"

9. इसके बाद इस न्यायालय के **विद्वान एकल न्यायाधीश ने ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में 5 अक्टूबर, 2018 को एक आदेश पारित किया। उक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त निर्णय के पैरा 2 और 3 में तथ्य दर्ज

किए हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दो अलग-अलग रिट याचिकाओं में एक सामान्य आदेश पारित किया और दोनों मामलों में धारा 379, 406, 420, 34 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उक्त मामलों में आरोप लगाया गया है कि रेत घाटों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सीमांकित क्षेत्र के ठीक बगल में रेत का अवैध उत्खनन/खनन हुआ था। यह भी आरोप लगाया गया कि इस क्षेत्र के लिए बंदोबस्तधारियों के पक्ष में कोई अनुमोदित खनन योजना नहीं थी और सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना खनन गतिविधियाँ हो रही थीं। एक अन्य याचिका में आरोप लगाया गया कि रेत के भंडारण के लिए याचिकाकर्ता की कंपनी को 32 स्टॉकिस्ट लाइसेंस दिए गए हैं और स्टॉकिस्ट लाइसेंस द्वारा रेत के परिवहन के लिए विभागीय प्रीपेड परिवहन चालान के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त प्रीपेड चालान के बिना रेत का परिवहन अवैध है। इसलिए एफआईआर दर्ज की गई।

9.1 उक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों पर विचार करने के बाद तथा संजय (उपरोक्त) में दिए गए निर्णयों पर विचार करने के बाद पैराग्राफ 20 से 22 और 26 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "**20.** एफआईआर में लगाए गए आरोपों और इस तथ्य का अवलोकन कि जांच के दौरान पुलिस ने आरोपों को सही पाया है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है, इस न्यायालय को यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेगा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। रेत के खनन के आरोप हैं जो एक ऐसे क्षेत्र में एक गौण खनिज है जो कार्य आदेश के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब है कि अवैध खनन का आरोप उन क्षेत्रों के संबंध में है जिनके संबंध में कोई स्वीकृत खनन योजना नहीं है। यह 1972 के नियमों का उल्लंघन है और इसलिए, यह न्यायालय खान विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों से सहमत है कि

याचिकाकर्ता का मामला 1972 के नियमों के नियम 40(8) के अंतर्गत आएगा।

21. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह निवेदन कि न्यायालय केवल एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 22 के अनुसार लिखित शिकायत के आधार पर ही संज्ञान ले सकता था, इस न्यायालय को भी अपील नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय राज्य (एनसीटी दिल्ली) (पैरा 30 और 31) (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अपने दृष्टिकोण में अच्छी तरह से मजबूत है कि जिन क्षेत्रों के संबंध में खान विभाग द्वारा कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया गया है, वहां से रेत का खनन दंड संहिता, 1860 की धारा 378 के तहत चोरी की परिभाषा को आकर्षित करने की संभावना है। हालांकि, यह इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है और इस तरह की टिप्पणियों को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा इस न्यायालय की किसी भी राय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। राज्य (एनसीटी दिल्ली) (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 30 और 31 इस प्रकार हैं:——

"31. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह पता चलता है कि किसी भी पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या राष्ट्रीय संपत्ति को होने वाली क्षति को रोके और ऐसे व्यक्ति पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाए।

32. खान एवं खनिज अधिनियम एवं नियमों की नीति एवं उद्देश्य का एक लंबा इतिहास है तथा यह गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन को बहाल करने और प्रकृति को होने वाले नुकसान को रोकने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि यूएनईपी वैश्विक पर्यावरण चेतावनी सेवा रिपोर्ट में रेत खनन के प्रतिकूल और विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार, नदी रेत खनन के लिए उचित वैज्ञानिक पद्धति की कमी के कारण अंधाधुंध रेत खनन हुआ है, जबकि कमजोर शासन और भ्रष्टाचार के कारण बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है। भारत में प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, यह कहा गया कि रेत व्यापार एक आकर्षक व्यवसाय है, और हमारे देश में प्रभावशाली माफियाओं के मामले जैसे अवैध व्यापार के सबूत हैं।"

> **22.** उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस विषय पर प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों को देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करना तथा तत्पश्चात विद्वान एसीजेएम द्वारा जांच और संज्ञान लेना अवैध या कानूनन गलत है। इस न्यायालय को वर्तमान मामले में संज्ञान लेने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।
>
> **26.** सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 10/2018 में याचिकाकर्ता एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहा है। हालांकि, एफआईआर में उल्लिखित आरोपों के अवलोकन से पता चलता है कि उनकी जांच की जानी चाहिए और इस स्तर पर अपने रिट अधिकार क्षेत्र में बैठे इस न्यायालय के लिए उन सामग्रियों का मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा जो याचिकाकर्ता द्वारा रिट आवेदनों और प्रत्युत्तर के अनुलग्नकों के माध्यम से लाई गई हैं। मामले में जांच में ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।"

10. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने **संजय (उपरोक्त)** के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह टिप्पणी की है कि उक्त मामले में, रेत खनन के आरोप, जो कि एक ऐसे क्षेत्र में गौण खनिज है जो कार्य आदेश में शामिल नहीं है और उन क्षेत्रों के संबंध में अवैध खनन का आरोप भी है जिनके लिए कोई स्वीकृत खनन योजना नहीं है। इसलिए यह माना गया कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, आईपीसी के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करना और पुलिस द्वारा की गई जांच और उसके बाद संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान लेना अवैध नहीं कहा जा सकता है।

11. इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि इसके बाद एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने **मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में 18.02.2019 को एक आदेश पारित किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीआरपीसी और एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने के बाद माना है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद शुरू हुई जांच पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने में परिणत हुई, जिसके बाद अदालत

ने अपराध का संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करना, पुलिस द्वारा की गई जांच और अदालत द्वारा लिया गया संज्ञान सभी एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के विपरीत हैं।

11.1 इस स्तर पर, यह ध्यान रखना उचित है कि **संजय (उपरोक्त) और बोराड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया।

12. इसके बाद उसी विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक अन्य मामले में, अर्थात् **मेसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद और सीआरपीसी और आईपीसी के प्रावधानों पर विचार करने के बाद एक बार फिर इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया।

13. इसके बाद उसी विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26.08.2019 को **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त)** के मामले में एक आदेश पारित किया और कहा कि "याचिकाकर्ता की ओर से यह सही तर्क दिया गया है कि अवैध खनन के विपरीत अत्यधिक खनन एक सिविल अपराध है। यह अवैध खनन नहीं है।" आगे यह भी कहा गया है कि "यदि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सही मान भी लिया जाए, तो भी पुलिस एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने संजय (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया और उसके बाद माना कि संजय (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टे या लाइसेंस या किसी प्राधिकरण के राज्य के कब्जे से बेईमानी से खनिजों को हटाने के इरादे से गुप्त खनन में खनिजों का निष्कर्षण करता है, तो धारा 379 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के तत्व आकर्षित होंगे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे

कहा कि उक्त मामले के तथ्यों में, यदि वैध लाइसेंस या पट्टा या प्राधिकरण वाला व्यक्ति उस मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन करता है जिसके लिए अनुमति दी गई है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध के तत्व धारा 379 आईपीसी के तहत मामला बनता है। इसी तरह, विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी माना है कि चूंकि याचिकाकर्ता एक वैध लाइसेंसधारी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि शुरू से ही धोखाधड़ी करने का इरादा था। अपराध करने की मानसिक अवस्था के अभाव में, धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के तत्व भी नहीं बनते।

13.1 इस प्रकार, उक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने, यद्यपि **संजय (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, **ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में दूसरे विद्वान एकल न्यायाधीश की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार नहीं किया गया। उक्त निर्णय से यह पता चलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने तथ्यों में अंतर करने का प्रयास किया और इस प्रकार यह टिप्पणी की कि **संजय (उपरोक्त)** के मामले में दिया गया निर्णय उक्त मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा।

13.2 इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जयंत (उपरोक्त)** के मामले में निर्णय दिया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 3.1 से 3.4 में तथ्यों को दर्ज किया है। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 9, 10, 17.2, 17.3, 18, 21, 21.1 से 21.5 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "**9.** हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि संजय [*राज्य (दिल्ली एनसीटी)* बनाम संजय, (2014) 9 एससीसी 772: (2014) 5 एससीसी (सीआरआइ) 437] में, इस न्यायालय के पास कोई अवसर नहीं था और/या उसने इस बात पर विचार नहीं किया था कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत रोक कब और किस स्तर पर आकर्षित होगी। वह यह है कि मजिस्ट्रेट को कब और किस स्तर पर संज्ञान लेना कहा जा सकता है जिससे एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत रोक आकर्षित हो?

10. उपर्युक्त मुद्दे पर विचार करते समय, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 का संदर्भ लेना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

"22. ***अपराधों का संज्ञान-*** कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो।"

उपर्युक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई लिखित शिकायत पर ही लिया जाएगा। इसलिए, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह प्रतिबंध तब लागू होगा जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा।

17.2. हालाँकि, धारा 23-ए की उपधारा (2) में निहित प्रतिबंध आईपीसी के तहत अपराधों, जैसे कि धारा 379 और 414 आईपीसी के लिए लागू नहीं होंगे। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत अपराध और आईपीसी के तहत अपराध अलग-अलग और विशिष्ट अपराध हैं।

17.3. इसलिए, जैसा कि वर्तमान मामले में है, खनन निरीक्षकों ने 1996 के नियमों के नियम 53 के तहत मामले तैयार किए और उन्हें संबंधित नियमों के अनुसार गणना की गई राशि को कंपाउंड करने के प्रस्तावों के साथ खनन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया और कलेक्टर ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी और उसके बाद निजी अपीलकर्ता उल्लंघनकर्ताओं ने निर्णय स्वीकार कर लिया और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23-ए की उप-धारा (2) और 1996 के नियमों के मद्देनजर मामलों को कंपाउंड करने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित जुर्माने की राशि जमा कर दी और यहां तक कि 2006 के नियम भी एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4/21 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक शिकायतें/कार्यवाही स्वीकार्य नहीं हैं और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23-ए की उप-धारा (2) में निहित प्रतिबंध के मद्देनजर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, जैसा कि

ऊपर देखा गया है, आईपीसी की धारा 379/414 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए आपराधिक शिकायतें/कार्यवाही, जिन्हें अलग और भिन्न माना जाता है, ऊपर उल्लेखित अवलोकनों के अधीन आगे बढ़ाई जा सकती हैं।

18. हालाँकि, हमारे उपरोक्त निष्कर्ष एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23-ए के प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं, जैसा कि आज है। यह सच हो सकता है कि उल्लंघनकर्ताओं को एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों को कम करने की अनुमति देकर, राज्य को राजस्व मिल सकता है और यह उस व्यक्ति के सिद्धांत पर होगा जिसने नुकसान पहुंचाया है, उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में प्रदूषण फैलाने वालों के सिद्धांत की तरह जुर्माना देना होगा। हालांकि, प्रकृति को हो रहे बड़े पैमाने पर नुकसान को देखते हुए और जैसा कि इस न्यायालय ने संजय [राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम संजय, (2014) 9 एससीसी 772 : (2014) 5 एससीसी (क्रि) 437] में देखा और माना है, एमएमडीआर अधिनियम और नियमों की नीति और उद्देश्य गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन को बहाल करने और प्रकृति को होने वाले नुकसान को रोकने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का परिणाम है और इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए, और जब इस तरह के उल्लंघन बढ़ रहे हैं और प्रकृति और पृथ्वी को गंभीर नुकसान हो रहा है और यह भूजल स्तर आदि को भी प्रभावित करता है और इससे गंभीर नुकसान होता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संजय [राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम संजय, (2014) 9 एससीसी 772 : (2014) 5 एससीसी (क्रि) 437], में देखा गया है, ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया, हमारा मानना है कि उल्लंघनकर्ताओं को केवल जुर्माना देकर बरी नहीं किया जा सकता। कुछ सख्त प्रावधान होने चाहिए, जिनका निवारक प्रभाव हो, ताकि उल्लंघनकर्ता ऐसे अपराध करने से पहले और पृथ्वी तथा प्रकृति को नुकसान पहुँचाने से पहले दो बार सोचें।

21. इस मामले में गहन विचार-विमर्श के पश्चात, एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों तथा दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता के संदर्भ में, तथा इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में निर्धारित कानून के आलोक में तथा उपर्युक्त कारणों से, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

21.1. विद्वान मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी/एसएचओ को एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए भी अपराध मामला/एफआईआर दर्ज करने का आदेश/निर्देश दे सकते हैं और इस स्तर पर एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

21.2. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध तभी लागू होगा जब विद्वान मजिस्ट्रेट एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों का संज्ञान लेगा और एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए प्रक्रिया/समन जारी करने का आदेश देगा।

21.3. भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किए जाने पर, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की गई शिकायत की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उक्त अपराध का संज्ञान ले सकता है।

21.4. यह कि एमएमडीआर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में, जब कोई मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आदेश पारित करता है और संबंधित थाने के प्रभारी/एसएचओ को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपराध का मामला/एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है और उसके बाद जांच के बाद संबंधित थाने का प्रभारी/जांच अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को भी भेजा जा सकता है और उसके बाद संबंधित अधिकृत अधिकारी जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है और उसके बाद विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संज्ञान लेना, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रक्रिया/समन जारी करना खुला होगा और

उस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है।

21.5. ऐसे मामले में जहां उल्लंघनकर्ता को धारा 23-ए की उप-धारा (1) के अनुसार दंड के भुगतान पर अपराधों को कम करने की अनुमति है, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23-ए की उप-धारा (2) पर विचार करते हुए, एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं होगी। हालांकि, धारा 23-ए की उप-धारा (2) के तहत प्रतिबंध आईपीसी के तहत अपराधों के लिए किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा, जैसे कि धारा 379 और 414 आईपीसी और उसी के साथ आगे की कार्यवाही की जाएगी।"

14. इसके बाद इस न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने **मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 1233/2021 में 07.04.2022 को एक आदेश पारित किया। उक्त मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता एक वैध लाइसेंसधारी था और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप चालान जारी किए बिना स्टॉक हटाने का नहीं है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है और माना है कि 2019 के नियमों के नियम 61 के मद्देनजर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी।

14.1 उक्त मामले में भी **ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला नहीं दिया गया और इसलिए उक्त आदेश पारित करते समय उसका संदर्भ नहीं दिया गया।

15. इस स्तर पर, हम यह देखना चाहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कंवर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2020) 14 एससीसी 331** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में एक निर्णय दिया है। उक्त मामले में, अपीलकर्ता मेसर्स कंवर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक था, जिसे एक गाँव के एक विशेष क्षेत्र से रेत की

खुदाई करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता अनुमत क्षेत्र के बाहर रेत का खनन कर रहा था, जहाँ उसने अवैध रूप से 50 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा था। नतीजतन, जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 379 आईपीसी और एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों पर विचार किया है और संजय (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया है और उसके बाद पैराग्राफ 15 और 16 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> **"15.** हम फिर से संजय [राज्य (दिल्ली एन.सी.टी.) बनाम संजय, (2014) 9 एससीसी 772: (2014) 5 एससीसी (क्रि) 437] के निर्णय पर ध्यान दिलाना चाहेंगे, जिसने सीमा सरकार बनाम राज्य [सीमा सरकार बनाम राज्य, 1994 एससीसी ऑनलाइन कैल 277: (1995) 1 कैल एलटी 95] में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को अमान्य और गैरकानूनी माना था क्योंकि मजिस्ट्रेट ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21(2) और आईपीसी की धारा 379 के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर संज्ञान लिया था, यह देखते हुए कि संज्ञान ऐसा था जिसे विभाजित या विभक्त नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि शिकायत एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 22 के अनुसार नहीं की गई थी, इसलिए संज्ञान गलत और कानून के विपरीत था। हमने पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को देखा है जिसमें निर्देश दिया गया था कि एफआईआर को धारा 379 आईपीसी के तहत पंजीकृत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि केवल एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत माना जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के इन निर्णयों को इस न्यायालय ने संजय [राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम संजय, (2014) 9 एससीसी 772: (2014) 5 एससीसी (सीआरआइ) 437] में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 और अभिव्यक्ति "समान अपराध" के अर्थ का उल्लेख करने के बाद उलट दिया और अलग रखा, यह देखने के लिए कि धारा 21 के तहत अपराध एमएमडीआर अधिनियम, 1957

की धारा 4 और धारा 379 आईपीसी के साथ पढ़ा जाए तो अलग और भिन्न हैं। उपरोक्त तर्क हमें अपीलकर्ता के इस तर्क को अस्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं कि एफआईआर में आरोपित कार्रवाई केवल धारा 4 का उल्लंघन है जो केवल एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत संज्ञेय अपराध है और किसी अन्य कानून के तहत नहीं। धारा 379 आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लेने से अदालत पर कोई रोक नहीं है। हम यह भी देखेंगे कि धारा 4 का उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध है, पुलिस हमेशा इसकी जांच कर सकती थी, टीओएचओ अधिनियम की धारा 13(3)(iv) के विपरीत एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत कोई रोक नहीं है।

16. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखेंगे जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 379 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत किए गए अपराध के अभियोजन और संज्ञान को रद्द करने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्राधिकरण के अभाव में धारा 21 के साथ धारा 4 के तहत अभियोजन और संज्ञान वैध और न्यायोचित नहीं होगा। इसके अलावा, हमारे सामने कानूनी मुद्दे का फैसला करने और उसका जवाब देने में हमारी टिप्पणियों को शिकायत में लगाए गए तथ्यात्मक आरोपों पर निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से तथ्यात्मक आरोपों पर अपना विचार लागू करेगा और कानून के अनुसार आरोप तय करेगा। उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, क्योंकि हमने धारा 379 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के अभियोजन और संज्ञान को बरकरार रखा है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

15.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 379 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत किए गए अपराध के अभियोजन और संज्ञान को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।

16. इस स्तर पर, हम गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा **पटेल धर्मेंद्रकुमार माधवलाल बनाम गुजरात राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना चाहेंगे, जिसकी रिपोर्ट 2014 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 13687 में दी गई थी। उक्त मामले में, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23(1) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15एच(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद, आरोप-पत्र दाखिल किया गया और मामला संबंधित सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 का संदर्भ दिया जो न्यायालयों द्वारा अपराधों के संज्ञान के संबंध में है। प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 इस प्रकार है:

> "26. न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान-(1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम या उप-कानूनों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।
>
> (2) सत्र न्यायालय से निम्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

16.1 गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त प्रावधान पर विचार किया और उसके बाद टिप्पणी की कि चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 23 एक संज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस को निश्चित रूप से जांच करने का अधिकार होगा। उसके बाद आरोप-पत्र दायर किया जा सकता है। हालांकि, सत्र न्यायालय उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित विशिष्ट प्रतिबंध के मद्देनजर पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं ले पाएगा। यह भी टिप्पणी की गई है कि पुलिस द्वारा की गई जांच का उपयोग उचित न्यायालय के समक्ष

लिखित रूप में शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस प्रकार, जांच अधिकारी द्वारा जो भी सामग्री एकत्र की गई है, उसका उपयोग प्राधिकरण द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

17. हमने कानून के उपरोक्त प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अध्ययन किया है। इससे यह पता चलता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में संजय (उपरोक्त) के मामले में निर्णय दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 नदी तल से रेत सहित खनिजों की अवैध और बेईमानी से चोरी करने के लिए कार्रवाई करने के लिए पूर्ण और निरपेक्ष प्रतिबंध नहीं है। यह भी माना गया कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 4 और अन्य धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि की जाती है, वहां अधिनियम के तहत सशक्त और अधिकृत अधिकारी क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करने सहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और मजिस्ट्रेट उक्त शिकायत के आधार पर संज्ञान लेगा। हालांकि, जहां कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टे या लाइसेंस या किसी प्राधिकरण के नदी में प्रवेश करता है और रेत, बजरी और अन्य खनिजों को निकालता है और उन खनिजों को राज्य के कब्जे से बेईमानी से हटाने के इरादे से गुप्त तरीके से उन खनिजों को हटाता या परिवहन करता है, तो वह धारा 378 और 379 आईपीसी के तहत ऐसा अपराध करने के लिए दंडित किया जा सकता है। यह आगे माना गया कि धारा 378 आईपीसी और एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का गठन करने वाले तत्व अलग-अलग हैं। खनन पट्टे की शर्तों का उल्लंघन या अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि करना एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध है, जबकि नदी से रेत, बजरी और अन्य खनिजों को बेईमानी से निकालना, जो राज्य की संपत्ति है, बिना सहमति के राज्य के कब्जे से बाहर करना चोरी का अपराध है। इसलिए, केवल शिकायत के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध के लिए

कार्यवाही शुरू करने से पुलिस को रेत और खनिजों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता है और न ही रोका जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में जहां सरकारी जमीन से रेत और बजरी की चोरी होती है, पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है और सीआरपीसी की धारा 190(1)(डी) के तहत संज्ञान लेने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट पेश कर सकती है।

18. इसके बाद **जयंत (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संजय (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए पहले के फैसले पर विचार करने के बाद यह टिप्पणी की है कि **संजय (उपरोक्त)** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था और/या उसने इस बात पर विचार नहीं किया था कि किस चरण पर एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत रोक लगाई जाएगी और किस चरण पर मजिस्ट्रेट को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत रोक लगाने वाला संज्ञान लेने वाला कहा जा सकता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एमएमडीआर अधिनियम और सीआरपीसी के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद उक्त निर्णय के पैराग्राफ 21 में निष्कर्ष निकाला है।

19. **कंवर पाल सिंह (उपरोक्त)** के मामले में, संबंधित अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था। उक्त याचिका धारा 379 आईपीसी और एमएमडीआर अधिनियम के तहत नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की गई थी। उक्त मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबंधित अपीलकर्ता को एक विशेष क्षेत्र की रेत खुदाई करने का अधिकार दिया गया था, हालांकि, निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि उक्त अपीलकर्ता अनुमत क्षेत्र के बाहर रेत खनन कर रहा था और, इसलिए, उपरोक्त

एफआईआर दर्ज की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त एसएलपी को खारिज कर दिया है और उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 379 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत किए गए अपराध के अभियोजन और संज्ञान को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।

20. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(6) में निहित प्रावधानों से यह भी पता चलता है कि धारा 21 की उपधारा (1) के तहत अपराध संज्ञेय होगा। यह भी पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 4 के अनुसार, आईपीसी के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच और विचारण तथा अन्यथा उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 4 के अनुसार, किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, पूछताछ और विचारण तथा अन्यथा उसी प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जो जांच के स्थान, पूछताछ, विचारण या अन्यथा ऐसे अपराधों से निपटने के तरीके को विनियमित करने वाले किसी भी अधिनियम के अधीन लागू है।

20.1 इसके अलावा, सीआरपीसी की अनुसूची । के भाग ।। के अनुसार, यदि अपराध तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय है, लेकिन सात वर्ष से अधिक नहीं, तो यह एक संज्ञेय अपराध है।

20.2 इस प्रकार, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21(6) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, धारा 21(1) में संदर्भित अपराध संज्ञेय अपराध हैं।

21. इस प्रकार, एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i) जहां कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टे या लाइसेंस या किसी प्राधिकरण के नदी में प्रवेश करता है और रेत, बजरी और अन्य खनिजों को निकालता है और उन खनिजों को राज्य के कब्जे से बेईमानी से हटाने के इरादे से उन्हें हटाता या परिवहन करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत ऐसा अपराध करने के लिए दंडित किया जा सकता है। इसलिए, ऐसे मामलों में, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए और साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पुलिस प्राधिकरण के लिए यह खुला है कि वह इसकी जांच करे और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करे और उक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। इसलिए, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(ii) जहां प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में रेत, बजरी और अन्य खनिजों के उत्खनन के लिए एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लाइसेंस, पट्टा या परमिट जारी किया गया है और उसके बाद यदि यह पाया जाता है कि उक्त व्यक्ति ने उस क्षेत्र से रेत का उत्खनन किया है जो पट्टे, लाइसेंस या परमिट या खनन योजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ऐसे मामले में भी पुलिस प्राधिकरण के लिए जांच करना और उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करना खुला है। इसके अलावा, उसी के आधार पर मजिस्ट्रेट के लिए संज्ञान लेना खुला है। इसलिए, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत रोक नहीं लगेगी।

(iii) जहां आरोप यह है कि स्टॉकिस्ट/लाइसेंसधारी द्वारा रेत के परिवहन के उद्देश्य से कंपनी के लिए रेत के भंडारण के लिए विभागीय प्रीपेड परिवहन चालान के माध्यम से ऐसा करना आवश्यक है। हालांकि, यदि प्रीपेड चालान के बिना रेत/खनिज का परिवहन

किया जाता है, तो इसे अवैध कहा जा सकता है। इसके अलावा, उक्त गतिविधि के कारण, यदि राज्य को अवैधानिक नुकसान होता है और यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी द्वारा किसी दिए गए तथ्यों में अवैधानिक लाभ कमाया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और इसलिए, उपरोक्त प्रावधान के तहत और एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ऐसे मामले में भी, पुलिस के लिए जांच करना और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करना खुला है। इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत रोक लागू नहीं होगी।

(iv) एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध केवल तभी लागू होगा जब विद्वान मजिस्ट्रेट एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों का संज्ञान लेगा और एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए प्रक्रिया/समन जारी करने का आदेश देगा।

इस प्रकार, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है और पुलिस प्राधिकरण को जांच करने और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ संबंधित अधिकृत अधिकारी को भी भेजा जा सकता है और उसके बाद संबंधित अधिकृत अधिकारी संबंधित जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है। इस प्रकार, संबंधित अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, मजिस्ट्रेट एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया/समन जारी कर सकता है और उस स्तर पर, यह कहा जा सकता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, यदि एफआईआर दर्ज की जाती है और मामले की जांच पुलिस एजेंसी द्वारा की जाती है और उसके बाद पुलिस एजेंसी रिपोर्ट दर्ज करती है, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध लागू होगा।

22. इस स्तर पर, हम इस मुद्दे की जांच करना चाहेंगे कि क्या **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को प्रति-अधिग्रहण कहा जा सकता है या नहीं?

22.1 **ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 379 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त मामले में, रेत घाटों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सीमांकित क्षेत्र के ठीक बगल में अवैध खनन किया गया है, जिसमें छह मीटर गहराई तक जाकर रेत निकाली गई है। यह भी आरोप लगाया गया कि इस क्षेत्र के लिए बंदोबस्तियों के पक्ष में कोई खनन योजना नहीं थी और खनन गतिविधियां सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना हो रही थीं। उक्त मामले में जांच एजेंसी ने जांच के बाद संबंधित अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया और संबंधित अदालत ने भी आरोप पत्र दायर आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त निर्णय के पैरा-20 में कहा कि रेत के खनन के आरोप हैं, जो एक गौण खनिज है, ऐसे क्षेत्र में जो कार्य आदेश के अंतर्गत नहीं आता है। इसका अर्थ है कि अवैध खनन का आरोप उन क्षेत्रों के संबंध में है, जिनके संबंध में कोई स्वीकृत खनन योजना नहीं है। इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 और **संजय (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार किया और पैरा-22 में कहा कि मामले के

तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करना और उसके बाद विद्वान एसीजेएम द्वारा जांच और संज्ञान लेना अवैध या कानून की दृष्टि से गलत है।

22.2 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए इस निर्णय को **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त)** के मामले में तथा **मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया।

23. **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त)** के मामले में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ-41 और 42 में कहा कि धारा 173(2) सीआरपीसी के अनुसार यह अनिवार्य है कि जैसे ही पुलिस द्वारा की गई जांच पूरी हो जाती है, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट भेजेगा। चूंकि "शिकायत" में "पुलिस रिपोर्ट" शामिल नहीं है, इसलिए संबंधित एफआईआर की जांच पूरी होने के बाद "पुलिस रिपोर्ट" दाखिल करना व्यर्थ होगा। उक्त मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर की गई शिकायत वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, इसलिए पुलिस द्वारा जांच की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

23.1 हमारा विचार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जयंत (उपरोक्त) तथा कंवर पाल सिंह (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए उपरोक्त निर्णय को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है। पुनः स्मरणीय है कि **जयंत (उपरोक्त)** के निर्णय के पैरा-21.1 से 21.4 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से माना है कि एमएमडीआर अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एफआईआर तब दर्ज की

जा सकती है जब मजिस्ट्रेट धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश पारित करता है तथा उसके पश्चात जांच अधिकारी मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट तथा प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जा सकता है। संबंधित प्राधिकृत अधिकारी संबंधित जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है तथा उसके पश्चात संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है।

23.2 **कंवर पाल सिंह (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-15 में कहा है कि धारा 4 का उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस हमेशा इसकी जांच कर सकती थी, क्योंकि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत इस पर कोई रोक नहीं है।

24. **मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में, इस न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने **ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार नहीं किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करने के बाद एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 379, 411 और 420 के उल्लंघन के लिए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। उक्त मामले में, यह देखा गया कि यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता एक वैध लाइसेंसधारी था और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप चालान जारी किए बिना स्टॉक हटाने का नहीं है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि उक्त मामले के तथ्यों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश पारित किया है। हालांकि, तथ्य यह है कि **ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय को उक्त विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त)** के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है

और यहां तक कि उक्त निर्णय में भी **ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार नहीं किया गया है।

25. इस प्रकार, उपर्युक्त के मद्देनजर, हमारा मानना है कि **मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त)** और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय अज्ञानतावश कहा जा सकता है।

26. तदनुसार, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैं:

(i) खनन योजना से परे या उसके विपरीत क्षेत्र से नदी तल से रेत की खुदाई करने और पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन करने के मामले में, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत चोरी आदि के अपराध करने का आरोप लगाते हुए लाइसेंसधारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 22 के साथ 2019 के नियम 56 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(ii) प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना स्टॉक लाइसेंस प्वाइंट से रेत की कथित चोरी से बिक्री और राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि और याचिकाकर्ताओं को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए, धारा 379, 411, 406 और 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है और जांच अधिकारी को इसकी जांच करने की छूट है।

(iii) मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 1233/2021) के मामले में दिए गए विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों को अज्ञानतावश कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पहले के निर्णय का हवाला नहीं दिया गया और उस पर विचार नहीं किया गया।

27. तदनुसार संदर्भ का उत्तर दिया जाता है। अब यह मामला एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।